म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/लेखा/1820

भोपाल दिनांक 16.08.2018

प्रति,

सचिव,

कृषि उपज मण्डी समिति,

.....................जिला................

विषय:- **कृषि उपज मण्डी समितियों के वाहन के लिए डीजल एवं पेट्रोल की सीमा बावत्।**

--00--

उपरोक्त विषयान्तर्गत कृषि उपज मण्डी समितियों के लिए डीजल एवं पेट्रोल की सीमा के संबंध में म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड के पत्र क्रमांक/बी-3/4/स्वी/विविध/647/621 दिनांक 31.08.2007 के द्वारा पूर्ववर्ती आदेशों को अधिक्रमित करते हुए म.प्र.शासन परिवहन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-22-1-2000-आठ दिनांक 13.01.2000 एवं आदेश दिनांक 10.08.2000 के अनुसार मण्डी समिति, मुख्यालय के लिए प्रतिमाह 65 लीटर डीजल एवं 60 लीटर पेट्रोल की सीमा निर्धारित की गई है। निर्देशों में यह भी उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त के अतिरिक्त मण्डी क्षेत्र के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दौरा डायरी/दौरा कार्यक्रम अनुमोदन की शर्त पर वाहन का उपयोग मान्य होगा। जिसके लिए म.प्र.शासन, परिवहन विभाग के परिपत्र क्रमांक/22-61-82-आठ दिनांक 21.01.1983 की निर्धारित सीमा मान्य होगी **(सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है)**। तत्पश्चात् उक्त के साथ ही म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड के पत्र क्रमांक/बोर्ड/वाहन/16-17/239 दिनांक 29.09.2016 से परिपत्र जारी किया गया है। जिसमें भी डीजल एवं पेट्रोल की निर्धारित सीमा का उल्लेख है। कृपया उपरोक्त के संबंध में तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(फैज़ अहमद किदवई)

आयुक्त सह प्रबंध संचालक

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/लेखा/

भोपाल दिनांक .08.2018

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संयुक्त संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय.................

आयुक्त सह प्रबंध संचालक

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल